राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः एफ8(5)/आ.कृ./एटीसी/एनएमएसए/2017–18/4422-4521 दिनांकः– 7/9/2017

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, अजमेर/अलवर / बांसवाड़ा/भरतपुर /भीलवाडा/बीकानेर/ चित्तौडगढ़/दौसा/डूंगरपुर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/जयपुर/झून्झूनु/जौधपुर/ करौली/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही /टोंक/उदयपुर

2. उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद, अजमेर/अलवर/ बांसवाड़ा/भरतपुर/ भीलवाडा/बीकानेर/ चित्तौडगढ /दौसा /डूंगरपुर /श्रीगंगानगर /हनुमानगढ/ जयपुर/झून्झूनु/जौधपुर/करौली/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही /टोंक/उदयपुर

विषयः– नेशनल मिशन फोर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (एन.एम.एस.ए.)– वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रम के तहत वर्ष 2017–18 में आवंटित नये कलस्टर के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18 ।

प्रसंगः– भारत सरकार का पत्रांक प1–13/2014 RFS III दिनांक 24.08.2017

1–परिचय

वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु इस मिशन के अन्तर्गत वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन संबधित घटकों को सम्मिलित किया गया है। यह मिशन (वर्षा आधारित क्षेत्र विकास) वर्ष 2014–15 से राज्य मे क्रियान्वित किया जा रहा है।

समन्वित कृषि पद्धति में विभिन्न आयामों यथा फसलोत्पादन, उद्यानिकी,पशुपालन/ डेयरी,तथा वृक्ष आधारित (कृषि वानिकी) कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषकों की आय बढाने में सहायक है। इस मिशन के माध्यम से कृषि उत्पादकता को टिकाऊ बनाने हेतु क्षेत्र विशेष में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों (खेत तलाई, नर्सरी, भूमि विकास आदि) का कुशलतम उपयोग किया जावेगा जो कि कृषकों द्वारा स्वयं तैयार किये गये हो अथवा विभिन्न योजनाओं यथा महानरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध आदि के अन्तर्गत बनवाये गये हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कम्पोनेंट के अन्तर्गत मुख्य तथा सहायक गतिविधियों द्वारा सूखे, बाढ़ अथवा असामान्य वर्षा के दौरान फसल पद्धति में नुकसान जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी कृषक को कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकेगा।

2–मिशन उद्देश्यः–

- कृषि को समन्वित कृषि पद्धति द्वारा उत्पादक, टिकाउ, लाभकारी तथा जलवायु सहनशील बनाना।
- मृदा एवं नमी संरक्षण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंध तकनीक का पालन।
- ''प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन'' हेतु कार्य कुशल जल प्रबंध को प्रोत्साहन।
- कृषकों की दक्षता में वृद्धि।

3–मिशन संरचना :–

मिशन के विभिन्न घटकों की योजना तैयार करने, इसके क्रियान्वयन एवं प्रबोधन हेतु निम्न तीन स्तरीय संरचना प्रस्तावित की गई है–

- राष्ट्रीय स्तरः– राष्ट्रीय सलाहकार समिति, परियोजना स्वीकृति समिति तथा तकनीकी समिति।
- राज्य स्तरः– प्रमुख शासन सचिव, कृषि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति।
- जिला स्तरः– परियोजनां तैयार करने, इसके क्रियान्वयन तथा मोनिटरिंग हेतु जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद की अध्यक्षता में जिला मिशन कमेटी का गठन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3 विभाग) के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14)प्र.सु./अनु–3/2014/॥ दिनांक 30.05.2014 द्वारा निम्न प्रकार किया गया है:–

1.	जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	अध्यक्ष
2.	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद, कृषि विभाग	सदस्य सचिव
3.	उप निदेशक/सहायक निदेशक, उद्यान विभाग	सदस्य
4.	संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
5.	उप निदेशक, मत्स्य विभाग	सदस्य
6.	अधिशाषी अभियंता, जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण विभाग	सदस्य
7.	उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि	सदस्य
8.	जिला वन अधिकारी अथवा उनके नामित प्रतिनिधि	सदस्य
9.	परियोजना समन्वयक/प्रभारी, कृषि विज्ञान केन्द्र	सदस्य
10.	परियोजना निदेशक, आत्मा	सदस्य
11.	लीड बैंक ऑफिसर	सदस्य
12.	सहायक निदेशक अथवा विपणन अधिकारी कृषि विपणन विभाग	सदस्य

4–मिशन व्यूह रचना :–

इस कार्यक्रम मे उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न व्यूह रचना अपनाई जावेगी –

फसल, पशुपालन, डेयरी, आदि समन्वित कृषि पद्धतियों तथा सहायक गतिविधियों द्वारा लघु एवं सीमांत कृषको पर केन्द्रित इस कार्यक्रम मे विविधीकृत खेती प्रणाली को बढावा देने के साथ–साथ फसल खराब होने की स्थिति मे अवशेष उत्पादन प्रणाली द्वारा कृषको को सहायता प्रदान की जायेगी जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।

विभिन्न विभागीय योजनाओं जैसे–महानरेगा, समन्वित जल ग्रहण प्रबंध कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एनएफएसएम, राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन, एन एम ओ ओ पी, आत्मा आदि के साथ समन्वय कर कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।

वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कम्पोनेंट के अन्तर्गत कृषकों द्वारा अपनाई जा रही कृषि पद्धति मे उचित एवं लाभकारी क्रियाओ के समावेश तथा खेततलाई/फार्म पोण्ड निर्माण , डीजल पम्प आपूर्ति,वर्मी कम्पोस्ट इकाई आदि सहायक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जावेगा। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं महानरेगा

कार्यक्रमो के अन्तर्गत निर्मित जल संग्रहण इकाईयों के कुशलतम उपयोग हेतु विकसित जल वितरण प्रणाली का खेती मे उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

विभिन्न योजनाओ मे निर्मित खेत तलाई मे जल रिसाव को रोकने के लिए उनकी लाइनिंग हेतु कृषको को सहायता का भी प्रावधान है।

5– वर्ष 2017–18 हेतु मिशन क्रियान्विति प्रक्रिया तथा लक्ष्य आवंटनः– वर्ष 2017–18 के दौरान मिशन का कियान्वयन वर्ष 2017–18 में चयनित कलस्टर क्षेत्रों में उपजिला स्तर पर सहायक निदेशक कृषि (वि.) द्वारा किया जाएगा तथा मोनेटरिंग जिला स्तर पर उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा की जायेगी। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल **परिशिष्ठ–1 से 3** पर उपलब्ध है। मॉडल अनुसार राशि के जिलेवार लक्ष्य **परिशिष्ठ–4** पर उपलब्ध है। आवंटित लक्ष्यो अनुसार राशि का शत प्रतिशत उपयोग इसी वित्तिय वर्ष मे सुनिश्चित किया जाना है। योजनान्तर्गत उद्यानिकी एवं वृक्षा रोपण संबंधी कार्य आवश्यक रूप से कार्य योजना तैयार कर सम्पादित किये जावें। इस हेतु आवश्यक पौधो की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। फरवरी एवं मार्च माह में किये जाने वाले व्यय की प्रकिया के स्थान पर विभिन्न गतिविधियों हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग मासिक/त्रैमासिक आधार पर किया जावें। मिशन अर्न्तगत व्यय उप निदेशक कृषि (वि.) द्वारा आवंटित राशि मे से ही किया जायेगा।

6–कलस्टर चयनः– कलस्टर आधारित विकास की अवधारणा सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कम्पोनेंट के अन्तर्गत कृषि पद्धतियों के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान दिया जायेगा।

मिशन का क्रियान्वयन कलस्टर एप्रोच आधारित होगा जिसमे 100 हैक्टेयर या अधिक क्षेत्र, एक गांव अथवा आस–पास के लगातार या अलग–अलग गांव/ढाणियों को शामिल किया जायेगा। चयनित कलस्टर में सर्वे के आधार पर 150 हैक्टेयर क्षैत्र का चयन किया जावे । इस 150 हैक्टेयर क्षैत्र में से 100 हैक्टेयर क्षैत्र के योग्य कृषको का चयन कर योजना कियान्वित की जाये ताकि योजना के तहत शत–प्रतिशत भौतिक एवं वित्तिय प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

कलस्टर क्षेत्र में मृदा परीक्षण करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।

मिशन अन्तर्गत क्लस्टर के चयनित कृषकों को सहायता देय होगी जो फसल पद्धति के साथ–साथ उपयुक्त समन्वित कृषि पद्धति को अपनायेंगे। केवल फसल पद्धति हेतु अनुदान सहायता देय नहीं होगी बल्कि वर्तमान फसल पद्धति के साथ क्षेत्र हेतु उपयुक्त कृषि पद्धति के रूप मे क्लस्टर में विविधीकृत किया जाना आवश्यक होगा। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के सदुपयोग हेतु कृषकों द्वारा एक या एक से अधिक कृषि पद्धति का चयन किया जा सकता है। एनएफएसएम/एनएमएमओओपी आदि के अन्तर्गत फसल पद्धति हेतु सहायता देय है अतः उनसे समन्वय कर समन्वित कृषि पद्धति गतिविधियों हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

कार्यक्रम क्रियान्वयन मे उस जिले एवं क्षेत्र मे स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र, अन्य वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थाओ का सक्रिय सहयोग भी अपेक्षित है।